

प्रेषक,

एच०पी० सिंह
विशेष सचिव
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ०प्र०, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक : 03 फरवरी, 2017

विषय वित्तीय वर्ष 2016-17 में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना (एन०यू०एल०एम०) के कार्यान्वयन हेतु अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

भारत सरकार के पत्रांक-जी-24011/15/2016-यू०पी०ए०-1/एफटीएस:16774, दिनांक 23.11.2016 द्वारा एन०यू०एल०एम० योजनान्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश की धनराशि के आधार पर आपके पत्र संख्या-4314/10/30/76/एक/2015-16, दिनांक 09 दिसम्बर, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन०यू०एल०एम०) योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों हेतु केन्द्रांश व राज्यांश के रूप में कुल धनराशि ₹ 949.55 लाख (रुपये नौ करोड़ उन्चास लाख पचपन हजार मात्र) की, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र० लखनऊ यह सुनिश्चित कर लेंगे कि एस०सी०एस०पी०/टी०एस०पी० योजना हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. उक्त योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त उक्त योजनान्तर्गत भारत सरकार के पत्र दिनांक 23.11.2016 में दिये गये शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि का व्यय योजना के घटक/उपघटक हेतु निर्धारित भौतिक लक्ष्य की प्राप्ति के परिप्रेक्ष्य में धनावंटन भारत सरकार द्वारा निर्धारित फण्डिंग पैटर्न 60:40 (केन्द्रांश व राज्यांश) के अनुपात में किया जायेगा।
4. चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में योजनान्तर्गत अवमुक्त धनराशि का उपयोग, एस०जे०एस०आर०वाई०/ एन०यू०एल०एम० योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 से अवमुक्त धनराशि यदि कोई हो, का अंतिम उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर व वार्षिक आडिट रिपोर्ट भारत सरकार को भेजे जाने के पश्चात् ही किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्रगति रिपोर्ट भी भारत सरकार को समय से भेजा जायेगा।
5. राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र० (सूडा) नोडल एजेन्सी, व्यय/धनराशि जारी करने के पूर्व आश्वस्त हो लेगी कि योजना में भारत सरकार से समन्वय कर केन्द्रांश का आवंटन (एलोकेशन) प्राप्त हो गया है एवं योजना के अद्यावधिक संशोधनों/परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में सदुपयोग व योजना की अद्यावधिक दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही क्रियान्वयन गुणवत्ता पूर्ण फारदर्शी ढंग से नोडल एजेन्सी/सूडा द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।
6. उक्त अनुदान का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिये वह स्वीकृत किया जा रहा है। किसी प्रकार का व्ययावर्तन अनुमन्य न होगा। अन्यथा की स्थिति में जी०एफ०आर०-2005 में दी गई व्यवस्थानुसार स्वीकृत धनराशि को व्याज सहित भारत सरकार को वापस किया जायेगा।

क्रमशः.....2

म.नि.स. / म.योजना

12
31/3/17

785/12 5.10PM

7. सूडा/डूडा द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 के संगत प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. उक्त धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों एवं योजना के दिशा-निर्देशों का समुचित अनुपालन करते हुये तदुसार मिशन डायरेक्टर के रूप में सूडा द्वारा डूडा के माध्यम से नियमानुसार किया जायेगा।
9. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ द्वारा सचिव/विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
10. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), 30प्र0, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जाय।
11. इस धनराशि का यथासमय/यथानिर्देश उपयोग के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन व भारत सरकार को समय से उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
12. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखे से अवश्य करायेगें।
13. स्वीकृत की जा रही धनराशि में से उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी दिनांक 31.03.2017 तक व्यय हो सके।
2. उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2230-श्रम तथा रोजगार-02-रोजगार सेवार्य-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0) (के.60/रा.40-के.+रा.)-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या यू0ओ0-ई-8-196/दस-2017, दिनांक 25 जनवरी, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
रेश
(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या- 45/2017/2737(1)/69-1-16-14(100)/2014, तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, इलाहाबाद।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग-11।
7. नियोजन अनुभाग-1/4।
8. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ।
9. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
10. गार्ड फाइल/बजट समन्वयक/ कम्प्यूटर सहायक।

आज्ञा से,
(अखिलानन्द ब्रह्मचारी)
अनु सचिव।